फर्द अहकाम

कार्यालय जिला कलक्टर, राजसमंद जिला राजसमंद

श्री अर्जुनसिंह फतेहसिंह सोलंकी 107, केवल् कॉम्पलेक्स, नवागम, डिडोंली रोड़, उद्यना, सूरत

– अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी, कुंभलगढ **– प्रत्यर्थी**

किस्म मुकदमा–अपील सूचना का अधिकार, 2005 **पत्रावली संख्या 33/2022**

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
	दिनांक 28.06.2022 पत्रावली पेश हुई । अपीलांट अनुपस्थित। अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 अंतर्गत वांछित सूचना लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी, कुंभलगढ से प्राप्त नहीं होने से इस कार्यालय में सूचना प्राप्ति हेतु प्रेषित प्रथम अपील को दर्ज रजिस्टर किया जाकर लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी, कुंभलगढ वांछित सूचना अपीलार्थी को उपलब्ध कराते हुए रिपोर्ट इस न्यायालय को भिजवाने हेतु निर्देशित किया गया । लोक सूचना अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी, कुंभलगढ से जरिये पत्र क्रमांकः सू. का अधि.05/2021/1410 दिनांक 20.05.2022 से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना अपीलार्थी को पत्रांकः सूचना अधि.05/2022/1036 दिनांक 7.4.2022 से भिजवाई गई, जिसमें उल्लेख किया कि न्यायालय की जैरकार पत्रावलियों में सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के प्रावधानों के अंतर्गत नियमानुसार प्रतिलिपि उपलब्ध कराना संभव नहीं है। लोक सूचना अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी, कुंभलगढ की रिपोर्ट एवं अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रथम अपील का अवलोकन किया। लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी, कुंभलगढ की रिपोर्ट अनुसार अपीलांट द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 से चाही गई सूचना न्यायालय की जैरकार पत्रावलियों की प्रतिलिपि उपलब्ध कराने से संबंधित होने से जैरकार पत्रावलियों कीं सूचना, आर.टी.आई. एक्ट 2005 के प्रावधानों के अंतर्गत नियमानुसार प्रतिलिपि उपलब्ध कराना संभव नहीं है। न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण दो पक्षकारों के मध्य विचाराधीन होते है जिनमें किसी प्रकार का लोकहित निहित नहीं होता है। यदि अपीलार्थी उक्त प्रकरण में पक्षकार है तो नियमानुसार प्रतिलिपि एक्ट के तहत आवेदन कर नियमानुसार प्रकरण से संबंधित प्रतिलिपियॉं प्राप्त कर सकता है। अतः उक्त अपील इसी स्टेज पर निर्णित की जाती है। निर्णय की प्रति अपीलार्थी, लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी, कुंभलगढ को भिजवायी जावे। **पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर नंबर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।** लोक सूचना अपीलीय अधिकारी (जिला कलक्टर) राजसमंद	